न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 817 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मोहनलाल पुत्र हीरालाल जाति जैन निवासी रामसर 2 कमलादेवी पत्नी मोहनलाल 3 दिलीप कुमार पुत्र मोहनलाल 4 बसन्ती देवी पत्नी मुकेश कुमार 5. मोहनी देवी पत्नी सम्पतराज जाति जैन निवासी कल्याणपुरा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		1 कलाराम पुत्र चैनाराम 2. उम्मेदाराम पुत्र गोरधनराम 3 पूरोंदेवी पत्नी गोरधनराम रावताराम 5 लुम्भाराम 6 सालूराम पिसरान गोरधनराम जाति जाट निवासी मुरटाला गाला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार बाड़मेर जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री ईश्वरसिंह राठौड़, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री नाथूराम प्रजापत, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 23/04/25

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1912 / 771 रकबा 6.0622 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी, टांके एवं कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के सेढासेढ़ ही विप्रार्थीगण संख्या 1 का खसरा नम्बर 2352 / 771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 का खसरा नम्बर 2351 / 771 रकबा 18.9231 हेक्टयर मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर में आया हुआ है तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खेत मूल खसरा नम्बर 771 के ही भाग थे किन्तु पक्षकारान के मध्य विभाजन होने से बटटा नम्बर अंकित किये गये। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खेतों की बीच तरमीम भी हुई है परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार तथा विप्रार्थी संख्या 1 का बंरग पीला व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 का बंरग हरा के अनुसार कब्जा काश्त है। राजस्व अधिकारियों द्वारा रेकर्ड को कम्प्यूटरीकरण के दौरान तरमीम इसके विपरित कर दी गई इसलिये प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहते है। लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 1912 / 771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व विप्रार्थीगण संख्या 1 का खसरा नम्बर 2352 / 771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 का खसरा नम्बर 2351 / 771 रक़बा 18.9231 हेक्टयर मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर की भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध व गलत तरमीम को दुरस्त

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस राही तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरस्त (शुद्धिकरण) करवाने का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित।

वकील अप्रार्थीगण ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं सेढासेढ की विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा नम्बर 2352/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 का खसरा नम्बर 2351/771 रकबा 18.9231 हेक्टयर मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर आये हुये है, जिनका मूल खसरा नम्बर 771 ही है किन्तु पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाने पर बट्टा नम्बर अंकित हो गये। भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की जाकर राजस्व रेकर्ड में विपरीत भिन्न दिशा में कर दी गई है। वर्तमान में प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार तथा विप्रार्थी संख्या 1 का बंरग पीला व विप्रार्थी संख्या 2 से 6 का बंरग हरा के अनुसार कब्जा काश्त होने से वाग्रस्त भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए सलंग्न नक्शा अनुसार परिशिष्ठ "अ" के अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक भू.अ./2025/808 दिनांक 21.03.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा मुरटाला गाला के खसरा नम्बर 1912/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर, खसरा नम्बर 2352/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व खसरा नम्बर 2351/771 रकबा 18.9231 का राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस में उक्त खसरों की तरमीम मौके अनुसार न होकर अशुद्ध तरमीम संलग्न परिशिष्ट "A" अनुसार है, तथा मौके पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ट "B" अनुसार है। दोनो पक्षकारान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर सहमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर किये हैं। तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित हैं प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती से किसी भी काश्तकार का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है तथा सभी पक्षकारान इससे सहमत है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा मुरटाला गाला के खसरा नम्बर 1912/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर, खसरा नम्बर 2352/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व खसरा नम्बर 2351/771 रकबा 18.9231 हैक्टेयर की भूमि की लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ' B' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079, नक्शों एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "B" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा मुरटाला गाला के खसरा नम्बर 1912/771 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

6.0622 हेक्टयर, खसरा नम्बर 2352/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व खसरा नम्बर 2351/771 रकबा 18.9231 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "B" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा मुरटाला गाला के खसरा नम्बर 1912/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर, खसरा नम्बर 2352/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व खसरा नम्बर 2351/771 रकबा 18.9231 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "B" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उभय पक्षों की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा मुरटाला गाला के खसरा नम्बर 1912/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर, खसरा नम्बर 2352/771 रकबा 6.0622 हेक्टयर व खसरा नम्बर 2351/771 रकबा 18.9231 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम जो कि प्रपत्र 'A' के अनुसार है को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "B" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "B" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23/04/25 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर